न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 22/2024

वाद दायरी दिनांक :– 01.03.2024

लालचंद पुत्र गीदाराम जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

बनाम

1.निरंजनलाल पुत्र भोजाराम जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

2 मुकेश पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

3.शीशराम पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

4.संतोष पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

5.प्रवीण पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

6.सजना पत्नी दानाराम जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

7. सचिन पुत्र मोहर सिंह जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

8.भंवरी देवी पत्नी मोहर सिंह जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

9.रामू पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

10.रणजीत पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

11.सुनिता पुत्री देवकरण जाति मेघवाल निवासी सेगु वहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

12. कृष्णा पुत्री देवकरण जाति मेघवाल निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

13. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू

14.ओम प्रकाश पुत्र हनुमान निवासी बहमनगर दुधवा खारा चूरू।

15.लक्ष्मीनारायण पुत्र हनुमान निवासी बहमनगर दुधवा खारा चूरू।

प्रतिवादीगण–

वकील वादीगण– श्री महेन्द्र नेमीवाल एडवाकेट

वकील प्रतिवादी न 1 व 04 लगा. 12 :– मुर्करम अंसारी एडवाकेट

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 13.02.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है िाके ग्राम सेसु तहसील विसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 222 रकबा 5 बीघा 15 विश्वा गत खसरा नम्बर 234 रकवा 6 विश्वा भूमि स्थित थी जिसके हाल खसरा नम्बर 584 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकवा 1.45 हैक्टर कुल किता 2.97 हैक्टर बने है।वाद पत्र में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी

संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज खेताराम, भोजाराम, हनुमान तथा गीदाराम पुत्रगण हुक्माराम की खातेदारी काश्तकारी भूमि रही है। हुक्माराम का पुत्र हनुमान अपने सुसर के गोद चला गया था इसलिए उसका उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। इसलिए उक्त भूमि पर खेताराम, भोजाराम तथा गीदाराम उर्फ जीवणराम प्रत्येक 1/3 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं। भोजाराम के स्वर्गवास होने पर उसके 1/3 हिस्सा भूमि पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 निरजन काबिज काश्त है। इसी प्रकार खतेराम के स्वर्गवास होने पर उसके 1/3 हिस्सा भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 व 10तथा देवकरण काबिज काश्त हुये। खेतराम के पुत्र देवकरण का स्वर्गवास हो चुका है देवकरण के हिरसे की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 व 12 काबिज काश्त है। इस प्रकार खेतराम के 1/3 हिस्सा भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 12 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। इसी प्रकार गीदाराम उर्फ जीवणराम के स्वर्गवास होने पर उसके 1/3 हिस्सा भूमि पर उसके वारिसान बनवारीलाल, दानाराम, मोहर सिंह व वादी लालचदं काबिज काश्त हुवे। बनवारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। बनवारीलाल के स्वर्गवास होने पर उसके हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 काबिज काश्त हुवे। इसी प्रकार दानाराम का भी स्वर्गवा हो चुका है। दानाराम के स्वर्गवास होने पर उसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 व 6 काबिज काश्त हुवे। इसी प्रकार मोहर सिंह के स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 व 8 काबिज काश्त हुवे। इसी प्रकार गीदाराम उर्फ जीवणराम के स्वर्गवा होने पर उसके 1/3 हिस्सा भूमि पर उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वाद पत्र में वर्णित भूमि पर हुक्माराम की खातेदारी काश्त्कारी की भूमि थी। हुक्माराम का पुत्र हनुमान अपने ससुर के गोद चला गया था इसलिए उसका उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी उक्त हनुमान का नाम दर्ज चला आ रहा है इसलिए वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में से हनुमान का नाम हज फरमाया जाकर भोजाराम, गीदाराम उर्फ जीवणराम तथा खेतराम का 1/3 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है।वाद पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं 2022 से 2024 तथा जमाबंदी संवत 2026 से 2029 के राजस्व रिकार्ड में क के पिता का सही नाम गीदाराम दर्ज चला आ रहा है। लेकिन बाद में नया राजस्व रिकार्ड कायम हुवा तब वादी के पिता का नाम गीदाराम की गलती व सहवन से जीवणराम दर्ज हो गया है जबकि वादी के पिता कानाम गीदाराम ही है। उक्त गलती राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारी की सहवन एवं भूल से दर्ज हुई है। इसलिए वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे वादी के पिता का नाम जीवणराम पुत्र हुक्माराम की जगह गीदाराम पुत्र हुक्माराम दर्ज किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है।वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे हनुमान पुत्र हुकमाराम का नाम हजफ किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान करें। [illegible] मुखासमत दावा हाजा के लिए वादी 22/02/2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर [illegible] को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने के कारण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।अतः दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर आदेश निम्न प्रकार फरमाया जावें कि –(क) यह कि वाके ग्राम सेरु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

की सरहद में कृ भूमि गत खसरा नम्बर 222 रकबा 5 बीघा 15 विश्वा गत खसरा नम्बर 23 रकबा 6 विश्वा भूमि स्थित थी जिसके हाल खसरा नम्बर 584 रकबा 1. हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकबा 1. 45 हैक्टर कुल किता 2.97 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे हनुमान पुत्र हुक्माराम का नाम हकिया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान करें।

(ख) यह कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुये वादी के पिता का नाम जीवणराम पुत्र हुकमाराम की जगह गीदाराम पुत्र हुकमाराम दुरुस्त किया जाने के आदेश प्रदान

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 लगायत 04 लगायत 11 की ओर वाद वादी स्वीकार किये जाने किये जाने सहमती व्यक्त की गयी। इसी अनुसार प्रतिवादी न0 13 व 14 के अभिभाषक आदेशिका पर वाद वादी स्वीकार किये जाने की टिप्पणी अंकित की गई। प्रतिवादी न0 02, 03 व 12 की ओर से कोई वकालतानामा व जबाव दावा पेश नहीं हुआ । अत इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी की ओर की ओर से दस्तावेजात जमाबन्दी 2074–77,2022–25, 2026–29, 2030–33खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 222 रकबा 5 बीघा 15 विश्वा गत खसरा नम्बर 23 रकबा 6 विश्वा भूमि स्थित थी जिसके हाल खसरा नम्बर 584 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकबा 1.45 हैक्टर कुल किता 2.97 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे हनुमान पुत्र हुक्माराम का नाम हजफ किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान करें। तथा वाद पत्र 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुये वादी के पिता का नाम जीवणराम पुत्र हुकमाराम की जगह गीदाराम पुत्र हुकमाराम दुरूस्त किया जाने के आदेश फरमाया जावें।

विधि में भूमि के विभाजन व घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा एवं धारा 53 में भूमि क्षेत्र के विभाजन का प्रावधान किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार खातेदार हनुमान पुत्र हुक्माराम अपने ससुर के गोद चला गया। उक्त तथ्य की ताकीद में उक्त खातेदार हनुमान पुत्र हुक्माराम के पुत्रान प्रतिवादी न0 14 व 15 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर वाद वादी स्वीकार किये जाने की

सहमती व्यक्त की है। जमाबन्दी सम्वत 2022–25 एवं 2026–29 में वादी के पिता का नाम गिदाराम पुत्र हुक्माराम दर्ज रिकार्ड है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं प्रतिवादी पक्ष की आम सहमती से वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम सेसु पटवार हल्का बिसाऊ तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 584 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकबा 1.45 हैक्टर कुल किता 2.97 हैक्टर में से खातेदार हनुमान पुत्र हुक्माराम का नाम हजफ किया जाकर हजफ हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के पिता का नाम जीवणराम पुत्र हुकमाराम की जगह गीदाराम पुत्र हुकमाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:-मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :- राजस्व वाद संख्या 22/24 लालचन्द बनाम निरंजनलाल वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.02.2025 निर्णय अनुसार अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम सेसु पटवार हल्का बिसाऊ तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 584 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकबा 1.45 हैक्टर कुल किता 2.97 हैक्टर में से खातेदार हनुमान पुत्र हुक्माराम का नाम हजफ किया जाकर हजफ हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के पिता का नाम जीवणराम पुत्र हुकमाराम की जगह गीदाराम पुत्र हुकमाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.02.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा